न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम, हापुड

उपस्थितः– विपिन कुमार–।। (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP-6070)

UPHP010050192023

सत्र परीक्षण सं0–860/2023

मु0 अ0 सं0–496/2016
सरकार बनाम विनीत गुर्जर आदि,
अंतर्गत धारा–302,364,394,411,201 भा0दं0सं0
थाना–गढ़मुक्तेश्वर,
जनपद हापुड़।

आरोप

मैं, विपिन कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम, हापुड एतद्द्वारा आप **विनीत गुर्जर पुत्र जगरेश व चैनपाल उर्फ मोहित पुत्र रणवीर** को निम्नांकित आरोप से आरोपित करता हूँः–

प्रथम– यह कि दिनांक 13.10.2016 को शाम के समय स्थान नया गांव से मिश्रीपुर के बीच हल्का थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ में आपने अपने सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा के पिताजी श्री धर्म सिंह वर्मा का अपहरण हत्या करने के उद्देश्य से किया। इस प्रकार आपके द्वारा धारा 364 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त तिथि समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा के पिताजी श्री धर्म सिंह वर्मा के साथ मारपीट करते हुए उन्हें चोट पहुंचायी और उनकी लाईसेंसी रिवाल्वर लूट ली। इस प्रकार आपके द्वारा धारा 394 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय–यह कि उपरोक्त तिथि समय व स्थान पर वादी मुकदमा के पिता जी श्री धर्मसिंह वर्मा से लूटी गयी लाईसेंसी रिवाल्वर पुलिस द्वारा बाद में आपके पास से बरामद की गयी। इस प्रकार आपके द्वारा धारा 411 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ–यह कि उपरोक्त तिथि समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा के पिता जी श्री धर्मसिंह वर्मा की अपहरण करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। इस प्रकार आपके द्वारा धारा 302 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचम– –यह कि उपरोक्त तिथि समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा के पिता जी श्री धर्मसिंह वर्मा की अपहरण करने के बाद गोली मारकर हत्या करते हुए उनकी लाश को सबूत मिटाने के आशय से गंगनहर में फेंक दिया। इस प्रकार आपके द्वारा धारा 201 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः एतद्द्वारा आप **विनीत गुर्जर पुत्र जगरेश व चैनपाल उर्फ मोहित पुत्र रणवीर** को निर्देश देता हूँ कि आपके उक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 21.10.2023

(विपिन कुमार–।।)
J.O. Code (UP-6070)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
हापुड़।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया व विचारण की मांग की।

दिनांक 21.10.2023

(विपिन कुमार–।।)
J.O. Code (UP-6070)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
हापुड।

Digitally signed by
VIPIN KUMAR
Date: 2023.10.21
14:58:10 IST
Reason: Charge
Location: ADH_1,
Hapur